300720

संख्या : / E-22087 / 14(150) 2017 / XXVII(1) / 2025

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 26 मई, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में जिला योजना हेतु प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में जिलायोजना हेतु प्रावधानित धनराशि के सम्बन्ध में "जिला नियोजन समिति" द्वारा विभागवार/कार्यवार अनुमोदित परिव्यय सीमा के अधीन निम्नलिखित तालिका में जनपदवार इंगित कुल रू 1010.228 करोड (रू. एक हजार दस करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी करने हेतु सीधे जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :– (धनराशि रू में)

क.सं.	जनपद का नाम	सामान्य (अनुदान–07)	एस.सी.एस.पी. (अनुदान–30)	टी.एस.पी. (अनुदान–31)	योग
1.	नैनीताल	559210000	134730000	8110000	702050000
2.	ऊधमसिंहनगर	557900000	102750000	81360000	742010000
3.	अल्मोड़ा	571570000	173730000	2270000	747570000
4.	पिथौरागढ़	504050000	171240000	42570000	717860000
5.	बागेश्वर	431200000	158390000	6700000	596290000
6.	चम्पावत	477080000	204200000	4430000	685710000
7.	देहरादून	770080000	128570000	96160000	994810000
8.	पौड़ी	989570000	204730000	5620000	1199920000
9.	टिहरी	799730000	150610000	1950000	952290000
10.	चमोली	564530000	144130000	34140000	742800000
11.	उत्तरकाशी	574680000	179020000	12000000	765700000
12.	रूद्रप्रयाग	470640000	109660000	1410000	581710000
13.	हरिद्वार	529760000	140450000	3350000	673560000

Scanned with OKEN Scanner

	योग–	7800000000	2002210000	300070000	10102280000

2. जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपदवार प्रावधानित धनराशि एकमुश्त जिलाधिकारियों को अवमुक्त की जा रही है, जिसे **जिलाधिकारियों के द्वारा 02 किश्तों में आवश्यकतानुसार अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।**

3. **उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि को वास्तविक उपयोग के अनुसार ही कोषागार से आहरित किया जायेगा। मात्र पार्किंग ऑफ फण्ड हेतु धनराशि का कोषागार से आहरण वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में होने के दृष्टिगत निषिद्ध है।**

4. सर्वप्रथम जिलाधिकारी के स्तर पर शासन से जारी स्वीकृति आदेश की आई.डी. को प्रचलित व्यवस्थानुसार कम्प्यूटर में दर्ज करके जिले के अन्तर्गत विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को जिला अनुश्रवण समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार कम्प्यूटर आधारित प्रकिया से ऑन लाईन बजट आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु जिलाधिकारियों को विभागाध्यक्ष के रूप में लॉग इन आई.डी. पूर्व से प्रदान की गयी है।

5. जिले के सभी आहरण–वितरण अधिकारी पूर्व की ई–पेमेन्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागार के माध्यम से ऑन लाईन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

6. विभिन्न विभागों द्वारा त्रैमास के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं पर हुये वास्तविक व्यय के बिल/बाउचर्स का परीक्षण/सत्यापित कर संलग्न करते हुये जिलाधिकारी के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे।

7. सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक–पृथक राजस्व/पूंजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।

8. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा त्रैमास में हुये वास्तविक व्यय विभागवार राजस्व/पूंजीगत मदों में वर्गीकृत करते हुये नियोजन विभाग को विवरण प्रेषित किया जायेगा।

9. जिलाधिकारी द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा–जोखा रखा जायगा एवं मासिक आधार पर इसका कोषागार/महालेखाकार से मिलान किया जायेगा।

10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित), वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस प्रकार अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्राथमिक रूप से विद्यमान देयकों के भुगतान हेतु किया जायेगा। तत्पश्चात् जिला नियोजन समिति द्वारा विभागवार/कार्यभार अनुमोदित परिव्यय सीमा के अधीन योजनाओं हेतु धनराशि व्यय की जायेगी।

12. जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

13. जिलाधिकारी कार्यालय में जारी की गई स्वीकृतियां एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय का रजिस्टर रखा जायेगा।

14. उक्त धनराशि का उपयोग नियोजन विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

संलग्नक–अलोटमेन्ट आई.डी.

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 26-05-2025
13:49:01
(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या :300/20/E-22087 / 14(150) 2017 / XXVII(1) / 2025 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. नियोजन विभाग / सेतु आयोग, उत्तराखण्ड।
9. अनुसूचित जाति / जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, NIC, सचिवालय परिसर।
12. समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner